भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-441
बुधवार, 20 नवम्बर, 2019/29 कार्तिक, 1941 (शक)

अनौपचारिक रोज़गार में कार्यरत कामगार

441. डा॰ अमी यज्ञिकः

क्या श्रम और रोज़गार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अनौपचारिक रोज़गार में कार्यरत कामगारो का प्रतिशत कितना-कितना है और उनकी आय कितनी है, तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा हेतु कोई विशिष्ट योजना बनाई है या बनाने का प्रस्ताव रखती है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, गैर-कृषि एवं एजीईजीसी क्षेत्रों (एजीईजीसी क्षेत्र में फसल उगाने को छोड़कर कृषि क्षेत्र, बाजार बागबानी, उद्यान-विज्ञान एवं पशुपालन सहित फसलों को उगाना शामिल हैं) में कार्यरत सामान्य स्थिति आधार (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) पर देश में अनौपचारिक क्षेत्र (अर्थात् मालिकाना एवं भागीदारी उद्यमों) में लगे कामगारों का प्रतिशत 68.4% था, जोकि अनौपचारिक क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है। सार्वजनिक कार्यों के अलावा दूसरे कार्यों में लगे नैमित्तिक श्रमिक द्वारा प्रतिदिन अर्जित की जा रही राज्य-वार औसत मजदूरी आय अनुबंध में दी गई है।

असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। यह अधिनियम (i) जीवन एवं अपंगता, (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ (iii) वृद्धावस्था संरक्षण एवं (iv) केंद्र सरकार द्वारा यथा-निर्धारित किसी अन्य लाभ से संबंधित मामलों पर असंगठित कामगारों हेतु उपयुक्त कल्याण योजनाओं को बनाने हेतु उपबंध करता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय 15 फरवरी, 2019 से प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के तहत, पात्र असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के उपरांत 3000/- रुपए की न्यूनतम निश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना 50:50 आधार पर आधारित है, जिसमें 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा तथा समान राशि केंद्र सरकार द्वारा देय है।

केंद्र सरकार ने असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन एवं अपंगता कवरेज प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एवं प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) की सामाजिक सुरक्षा योजना को अभिमुख किया है। अभिमुख किए गए पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई के तहत, किसी भी कारण से मृत्यु पर 2 लाख रुपए तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु पर 4 लाख रुपए, आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए एवं स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए 342 रुपए का वार्षिक प्रीमियम केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा 50:50 आधार पर वहन किया जाता है। ये योजनाएं भारतीय जीवन बीमा निगम तथा संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

भारत सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए अप्रैल, 2015 से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के योग्य बनाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा।

अनौपचारिक रोज़गार में कार्यरत कामगार से संबंधित राज्य सभा के दिनांक 20.11.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 441 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अप्रैल-जून 2018 तिमाही हेतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में सार्वजनिक कार्यों के अलावा नैमित्तिक श्रम कार्य से प्रतिदिन अर्जित की गई औसत मजदूरी आय (रुपए 0.00)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	ग्रामीण+शहरी
		व्यक्ति
1	आंध्र प्रदेश	293.11
2	अरुणाचल प्रदेश	302.58
3	असम	260.97
4	बिहार	288.00
5	छत्तीसगढ़	189.05
6	दिल्ली	375.72
7	गोवा	373.78
8	गुजरात	223.57
9	हरियाणा	301.88
10	हिमाचल प्रदेश	364.78
11	जम्मू और कश्मीर	373.39
12	झारखंड	261.14
13	कर्नाटक	262.94
14	केरल	604.88
15	मध्य प्रदेश	230.69
16	महाराष्ट्र	208.88
17	मणिपुर	293.37
18	मेघालय	343.94
19	मिजोरम	324.08
20	नागालैंड	368.27
21	ओडिशा	236.15
22	पंजाब	302.00
23	राजस्थान	297.55
24	सिक्किम	395.77
25	तमिलनाडु	331.25
26	तेलंगाना	305.86
27	त्रिपुरा	319.53
28	उत्तराखंड	282.32
29	उत्तर प्रदेश	252.38
30	पश्चिम बंगाल	229.25
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	486.71
32	चंडीगढ़	377.78
33	दादर और नगर हवेली	195.30
34	दमन और दीव	400.00
35	लक्षद्वीप	0.00
36	पुडुचेरी	325.01
	अखिल भारत	270.78

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2017-18, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।